महत्वपूर्ण एवं खास

पुरी-दुर्ग-पुरी दैनिक स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन रद्द

रायपुर (आरएनएस)। पर्याप्त यात्री संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण दुर्ग एवं पुरी के मध्य चलने वाली गाड़ी संख्या 08425/08426 पुरी-दुर्ग-पुरी, दैनिक स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन रद्द किया गया है। रेल मंडल अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार 08425 पुरी-दुर्ग, दैनिक स्पेशल एक्सप्रेस 05 मई' से एवं 08426 दुर्ग-पुरी, दैनिक स्पेशल एक्सप्रेस 06 मई से आगामी आदेश तक रद्द रहेगी।

दुर्ग-छपरा स्पेशल एक्सप्रेस में 2 अस्थायी स्लीपर कोच की सुविधा

रायपुर (आरएनएस)। रेल यात्रियों को अधिक से अधिक बर्थ की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज 04 मई को दुर्ग से छपरा के मध्य चलने वाली 05160 दुर्ग-छपरा स्पेशल एक्सप्रेस में 02 अस्थायी शयनयान कोच की सुविधा दी जा रही है।

सिकंदराबाद एवं रक्सौल के मध्य 04 फेरे लगाएगी साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन

रायपुर (आरएनएस)। सिकंदराबाद एवं रक्सौल के मध्य यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन के द्वारा 04 फेरों के लिये साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है । रेल मंडल रायपुर के अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह स्पेशल ट्रेन सिकंदराबाद से रक्सौल के लिये प्रति शुक्रवार दिनांक 07, 14, 21 एवं 28 मई' 2021 को 07026 नंबर के साथ चलेगी । यह स्पेशल ट्रेन सिकंदराबाद से 22.15 बजे रवाना हो कर अगले दिन 11.55 बजे दुर्ग , 12.35 बजे रायपुर , 14.30 बजे बिलासपुर होते हुए अगले दिन 16.50 बजे रक्सौल पहुँचेगी। इसी प्रकार यह ट्रेन रक्सौल से सिकंदराबाद के लिए प्रति सोमवार दिनांक 10, 17, 24 एवं 31 मई' 2021 को 07025 नंबर के साथ चलेगी । यह ट्रेन रक्सौल से 03.25 बजे रवाना होकर अगले दिन 04.50 बजे बिलासपुर, 06.35 बजे रायपुर,07.30 बजे दुर्ग होते हुए 19.00 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी। इस गाड़ी में 02 एसएलआर, 02 सामान्य, 10 स्लीपर, 06 एसी-3 एवं 02 एसी-2 सहित कुल 22 कोच रहेगी ।

अहमदाबाद एवं हावड़ा के बीच सिंगल साइड फेरे के लिए 6 मई को चलेगी स्पेशल ट्रेन

रायपुर (आरएनएस)। अहमदबाद एवं हावड़ा के मध्य ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को कम करने एवं इस मार्ग के यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन के द्वारा एकतरफा एक फेरे के लिए 06 मई (गुरुवार) को एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है । रेल मंडल केअधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह स्पेशल ट्रेन दिनांक 06 मई ' 2021 (गुरुवार) को अहमदाबाद से 09425 अहमदाबाद-हावड़ा, स्पेशल ट्रेन के रूप में प्रस्थान करेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 10 सामान्य, 08 स्लीपर, 01 एसी-03 एवं 02 एसएलआर सहित 21 कोच रहेगी । इस गाड़ी में कोविड-19 प्रोटोकाल के गाइड-लाइन का पालन अनिवार्य होगा तथा इसमें स्पेशल ट्रेन की किराया सूची लागू होंगी

माना कोविड सेंटर के पास मिली अज्ञात युवती की लाश, जांच में जुटी पुलिस

रायपुर (आरएनएस)। माना कोविड सेंटर के पास सुबह सवेरे मिली अज्ञात युवती की लाश ,सेंटर के बाहर युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गयी है ,मिली जानकारी के अनुसार मॉर्निंग वॉक के लिए निकले स्थानीय लोगो ने युवती का शव रास्ते पर देखा तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना पर पहुची पुलिस टीम ये आशंका जता रही है कि युवती कोविड सेंटर से ही निकली होगी, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का तहत मामले की जांच कर रही है।

राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में 15 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, रायपुर व दुर्ग में कुछ सेवाओं में आंशिक छूट दी गई

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में लागू लॉकडाउन को 15 मई तक के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। हालांकि रायपुर और दुर्ग में संक्रमण के मामले कम आने के बाद यहां कुछ सेवाओं में आंशिक छूट दी गई है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के उपरांत रायपुर सहित विभिन्न जिलों में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ाया गया है। समीक्षा बैठक में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमित मामलों में आई रफ्तार कम होने के बाद भी लॉकडाउन को ही अंतिम विकल्प समझकर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई। समीक्षा बैठक के उपरांत विभिन्न संभाग के आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस महानिरीक्षकों को विस्तारपूर्वक निर्देश जारी कर आदेश में दिए गए तथ्यों का विधिवत पालन कराने की अपील की गई है। जारी निर्देश में लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध कराई गई निर्देशों की सूची यथानुसार है।

बैठक में यहीं बातें रखी गई कि अधिकांश जिले निरंतर सकारात्मकता दर को कम नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन अवधि का विस्तार करना चाहिए ताकि वायरस श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास किया जा सके।

बैठक में यह भी बात सामने आयी है कि बस्तर संभाग के जिलों- आंध्र में एक नए संस्करण / तनाव का पता चला है, जो बहुत खतरनाक होने की सूचना दी गई है, और जो आपके क्षेत्रों में फैल सकता है, इसलिए इन जिलों को सीमा नियंत्रण, सीमा जांच / परीक्षण में सुधार और सख्ती से लॉकडाउन लागू करने की आवश्यकता है।

बैठक में रायपुर और दुर्ग जिले के लिए नई गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ाया गया है जिसमे रायपुर और दुर्ग जिलों में कुछ सेवाओं में छूट दी गई है। जिसमे कृषि सेवाओं से जुड़े दुकानों को खोला जाएगा। जिसमे कृषि उपकरणों को सुधारने वाले दुकान भी खुलेंगे। किराना दुकान सिर्फ मोहल्ले के अंदर वाले खुलेंगे। बैंक और पोस्ट ऑफिस पचास फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे, लेकिन इनमें सिर्फ व्यापारिक ट्रांजेक्शन होंगे। ई-कॉमर्स सेवाएं बंद रहेंगी। इलेक्ट्रेशियन अपने घरों से या फिर घरों में जाकर रिपेयरिंग का काम कर सकेंगे। पेट्रोल पंपों को पूरी तरह से नियमों से मुक्त किया गया है। गैस एजेंसी, अंडा और डेयरी प्रोडक्ट्स,आटा चक्की के दुकान खुलेंगे। रजिस्ट्री दफ्तर भी खुलेंगे। सब्जी और फल ठेलों में बिकेंगे। खानों की होम डिलिवरी सीधा घरों में ही रहेंगी। सरकारी कामों में लेबर वर्क को छूट दी गई है।

लॉकडाउन के विस्तार के मुद्दों के बारे में:-

उपरोक्त 2 श्रेणियों के सभी एक्सटेंशन 15 मई तक, यानी, 10 दिनों तक - एक जैसे होने चाहिए, लेकिन कुछ और छूट के साथ (ए में नीचे दिए गए)

केवल 2 जिले, रायपुर और दुर्ग, जहां दरें कम हो रही हैं, 15 मई तक भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अधिक / आगे आराम के साथ (नीचे बी देखें)।

रायपुर और दुर्ग को छोड़कर सभी जिलों के लिए:-

1. कृषि क्षेत्र- बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।
2. किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
3. शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
4. बैंकों और डाकघरों को 50त्न जनशक्ति के साथ खोलने के लिए ङ्क केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
5. डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
6. इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
7. एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी।
8. पेट्रोल पंप सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।
9. गैस एजेंसियां- खोलना।
10. पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।
11. आटा मिल्स (अता चाकी)।
12. रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50प्रतिशत कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।
13. अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।
14. फल और सब्जी के तोले, फेरे करते हुए।
15. सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है ङ्क पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित। उपरोक्त को शाम 5.00 बजे तक अपने सामान्य शुरुआती घंटों के कारोबार से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। शाम 5.00 बजे के बाद अनुमति देने के लिए नहीं (पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों को छोड़कर) माल, माल और गोदामों / गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग समय रात में, रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा।

रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, नैदानिक प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी)।

रायपुर और दुर्ग के लिए:-

1. उपरोक्त सभी उल्लिखित के अनुसार। प्लस निम्नलिखित छूट
2. स्टेशनरी की दुकानें।
3. वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें।
4. होटल और रेस्तरां - होम डिलीवरी।
5. निजी साइट पर निर्माण कार्य / गतिविधियां।
6. पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयां।
7. कपड़े धोने की सेवाएं।

सभी 28 जिले निम्नलिखित नहीं खोले जाएंगे:

1. बाजार
2. होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए)
3. मैरिज हॉल
4. मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट
5. सभी धार्मिक स्थल
6. कोचिंग क्लासेस
7. स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए)
8. पान और सिगरेट की तलब
9. शराब की दुकानें
10. टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे)
11. मोबाइल भोजनालयों, थेल्स और छोटी सड़क की भोजनालयों की दुकानों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
12. नाई की दुकानें
13. पार्क
14. मंडी- सभी प्रकार (निर्दिष्ट रात के समय लोडिंग / उतराई के लिए अपवाद)
15. जिम।
16. सभी प्रकार के विधानसभा / सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रम

50 लाख के हीरों के साथ दो गिरफ्तार, आरोपियों से 440 नग हीरें बरामद

गरियाबंद (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हीरा तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 440 नग हीरें बरामद किये है, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रूपये आंकी गई है। पूर्व में भी 07 प्रकरणों में 672 नग हीरा जप्त कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति बहुमुल्य हीरा अपने पास रखकर सफेद रंग की होण्डा एक्टिवा में छुरा-फिंगेश्वर मार्ग होते हुए रायपुर की ओर जा रहे है। मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी फिंगेश्वर के नेतृत्व में टीम गठित कर नाकाबंदी पाईन्ट लगाने निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी फिंगेश्वर उप निरीक्षक भूषण चन्द्राकर द्वारा बोरिद चैक (फिंगेश्वर) के पास नाकाबंदी पाईन्ट लगाया गया और छुरा की तरफ से आने वाली वाहनों को सघनता से चेक किया गया। चेकिंग के दौरान होण्डा एक्टिवा में सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर हड़बड़ा गये और भागने लगे, जिसे सजगता से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गये दोनों व्यक्ति की तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 440 नग हीरा मिला। आरोपियों से पुछताछ करने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नही किया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना फिंगेश्वर में अपराध क्रमांक 91/2021 धारा 379,34 भादवि, 4(21) माइनिंग एक्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपी रायपुर के रहने वाले है। जिनमें सुभाष मंडल पिता गौरंग मंडल 43 वर्ष साकिन वार्ड नं. 55 टिकरापारा भगत सिंह चौक मिश्र सदन रायपुर थाना टिकरापारा तथा उज्जवल चंन्द्राकर पिता पवन चन्द्राकर 30 वर्ष साकिन वार्ड नं. 08 एकता चौक दलदल सिवनी मोवा का निवासी है। आरोपियों से प्राप्त कागज की पुड़िया में 440 नग हीरा पत्थर खनिज पदार्थ कीमती 50 लाख रूपये, एक मोटर सायकल होण्डा एक्टिवा सी.जी. 04 के.आर. 4813 कीमती 30,000 रूपये एवं दो नग मोबाईल जुमला कीमती 5,000 रूपये जप्त किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी फिंगेश्वर उप निरीक्षक भूषण चन्द्राकर, प्रधान आरक्षक रणजीत साहू, नेमीचंद पटेल, आरक्षक कृतेश प्रजापति, लक्ष्मीकांत साहू, भूषण निषाद, भोगचंद कश्यप का कार्य सराहनीय रहा। गरियाबंद जिले के पुलिस कप्तान भोजराम पटेल ने बताया कि जिले में तस्करों के खिलाफ अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। पूर्व में भी माईनिंग एक्ट, वन्यप्राणी अधिनियम, नारकोटिक्स एक्ट, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लगातार कार्यवाही की गई है।

छत्तीसगढ़ में अब तक लगे 56 लाख 99 हजार वैक्सीन डोज

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कोविड 19 टीकाकरण महाभियान के तहत विभिन्न आयु वर्ग के नागरिकों को अब तक कुल 56 लाख 99 हजार डोज वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में अब तक 88 प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रथम डोज और 62 प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसी प्रकार अग्रिम पंक्ति के शत-प्रतिशत कार्यकर्ताओं को प्रथम डोज और 59 प्रतिशत अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की द्वितीय डोज लगाई गई है। इसके साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु के 73 प्रतिशत नागरिकों को प्रथम डोज तथा इस आयु वर्ग के 6 प्रतिशत नागरिकों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में अब तक 21हजार 747 लोगों को प्रथम डोज लगाई गई है।

उल्लेखनीय है कि 45 वर्ष से अधिक आयु समूह को कोविड 19 वैक्सीन की प्रथम डोज़ देने में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान पूरे देश में चौथा है। पूरे देश में सिर्फ लद्दाख, सिक्किम और त्रिपुरा ही छत्तीसगढ़ से आगे हैं।

इसी प्रकार साठ वर्ष और उससे अधिक आयुवर्ग की बात करें तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में लद्दाख, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा के बाद पाँचवे स्थान पर है।

राजधानी अस्पताल अग्निकांड मामला : अस्पताल संचालक मंडल के दो डॉक्टर गिरफ़्तार

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पचपेड़ीनाका स्थित राजधानी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में बीते दिनों हुए अग्निकांड मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालक मंडल के 2 डॉक्टरों को गिरफ़्तार किया है।

गौरतलब हो कि टिकरापारा थाना पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था जिसके बाद आज डॉक्टर सचिन मल व अरविंदो राय को गिरफ्तार कर लिया गया है।

राजधानी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में हुए अग्निकांड में बनी जिला प्रशासन की टीम ने अस्पताल प्रबंधन से पूछे 28 बिंदुओं के सवालों का जवाब तो दे दिया है लेकिन किसी भी सवाल के एवज में कोई दस्तावेजी सुबूत जमा नही किये है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा सभी दस्तावेज सील अस्पताल में बंद होने की बात कही है । इसके अलावा फायर सेफ्टी विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट एसएसपी रायपुर को सौंप दी है जिसमे कई बड़े खुलासे हुए है। जांच टीम को अस्पताल प्रबंधन ने साल 2016 में नगर निगम फायर ब्रिगेड द्वारा फायर एनओसी लेने की बात कही है लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है जिससे साफ जाहिर होता है कि अस्पताल के पास साल 2016 के बाद फायर सेफ्टी की कोई एनओसी नही थी, गौरतलब है कि साल 2017 में राज्य में फायर सेफ्टी विभाग की स्थापना हो चुकी थी।

3 सदस्यीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अस्पताल का 26 अप्रेल को निरीक्षण के दौरान 5 बिंदुओं की जांच के दौरान फायर सेफ्टी के संसाधनों के कोई अवशेष नही मिले है और न ही कोई प्रशिक्षित कर्मचारी अस्पताल में मौजूद था। इसके अलावा जांच टीम ने पाया कि अस्पताल प्रबंधन के पास सिर्फ 2 माला बिल्डिंग की अनुमति थी उसके बावजूद तीसरा माला अवैध रूप से बना रखा था।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथा में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्त, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्त विरले पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

गांव-गांव में कोरोना को रोकने और ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में मितानिनों की है अहम् भूमिका-मुख्यमंत्री

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मितानिन वर्तमान में गांव-गांव में कोरोना को रोकने में अहम् भूमिका निभा रही हैं। आज कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इसमें वे अपनी कड़ी मेहनत, अद्वितीय सेवा भावना और कर्तव्यनिष्ठा से स्वयं को सफल कर दिखाया है। मुख्यमंत्री बघेल ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मितानिनों और

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से चर्चा कर कोरोना संक्रमण के हालात के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान बस्तर संभाग के समस्त जिलों सहित सरगुजा संभाग के जशपुर तथा कोरिया जिले के विभिन्न ब्लॉकों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति के संबंध में उनसे चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू तथा मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वर्तमान में कोरोना शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिन और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता डटकर अपना कार्य कर रहे हैं, वह सराहनीय है। उन्होंने बताया कि गांवों में अभी भी कोविड प्रोटोकॉल, हैण्डवाश, मास्क, सेनेटाईजर, वैक्सीन तथा आइसोलेशन आदि को लेकर जागरूकता की बहुत कमी है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र की जनता और खासकर महिलाओं को कोरोना की गंभीरता के बारे में समझाएं और ग्रामीणों को सर्तकता बरतने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करें। साथ ही लक्षण वाले व्यक्ति को तुरंत कोरोना की दवा उपलब्ध कराएं और जांच कराने के लिए भी प्रेरित करें।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गांवों में लोग कोविड के लक्षणों को जानते समझते नही हैं। इसलिए उनका संक्रमण अंदर ही अंदर काफी बढ़ जाता है और स्थिति काफी गंभीर होने के बाद वे दवाई लेने जाते हैं, जिससे इनका इलाज करने में बहुत मुश्किले आती है। इसे ध्यान में रखते हुए मितानिन और स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को कोविड के लक्षणों के बारे में भी समझाएं। उन्होंने कहा कि गांवों में फिल्ड विजिट के समय मितानिन मास्क और सेनेटाईजर का अवश्य उपयोग करें, ताकि वे सुरक्षित रहें। इस हेतु मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को सेनेटाईजर और मास्क की पर्याप्त उपलब्धता के निर्देश दिए हैं।